

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
27.08.2021

मिसल नम्बर
27 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021

तारीख दायरा
05.04.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री कुन्ती लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्रा एजेन्सीज नेहरू
मार्केट देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 8 नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज०
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा०सु०अ० स्वयं।

2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 27.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.01.2021 को समय 2.21 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महेन्द्रा एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री कुन्ती लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्रा एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 8 नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज० खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे कच्ची घाणी सरसों तेल श्री महाराजा गोल्ड ब्राण्ड टिन पैक (Kachi Ghani Mustard Oil Shree Maharaja Gold Brand Tin Pack)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महेन्द्र कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे लोहे के 2 टिन पैक कच्ची घाणी सरसों तेल श्री महाराजा गोल्ड ब्राण्ड टिन पैक (Kachi Ghani Mustard Oil Shree Maharaja Gold Brand Tin Pack)रखे हुये मे से 1600 ग्राम को इलेक्ट्रोनिक तोलने की मशीन से



1262

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तुलवाकर एक स्टील के जग मे वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकता. श्री महेन्द्र कुमार जैन को रू0 210/-अक्षरे दौ सौ दरा रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल श्री महाराजा गोल्ड ब्राण्ड टिन पैक (Kachi Ghani Mustard Oil Shree Maharaja Gold Brand Tin Pack) 1600 को 400-400 ग्राम बराबर-बराबर इलेक्ट्रोनिक मशीन से तुलवाकर अलग-अलग प्लास्टिक की साफ व सूखी शिशियो अलग-अलग भरकर शिशियो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2727 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2777 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. महेन्द्र कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/337 दिनांक 11.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/135/एवट/2021/228 दिनांक 22.01.2021 अनुसार महेन्द्र कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल श्री महाराजा गोल्ड ब्राण्ड टिन पैक (Kachi Ghani Mustard Oil Shree Maharaja Gold Brand Tin Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का कच्ची घाणी सरसों तेल श्री महाराजा गोल्ड ब्राण्ड टिन पैक (Kachi Ghani Mustard Oil Shree Maharaja Gold Brand Tin Pack)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम



1263

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उंठ

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किराी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसों तेल श्री महाराजा गोल्ड ब्राण्ड टिन पैक (Kachi Ghani Mustard Oil Shree Maharaja Gold Brand Tin Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कच्ची घाणी सरसों तेल श्री महाराजा गोल्ड ब्राण्ड टिन पैक (Kachi Ghani Mustard Oil Shree Maharaja Gold Brand Tin Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री कुन्ती लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्रा एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 8 नेहरू मार्केट देवली देवली जिला टोंक राज० पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू०) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय अभियंता अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०